

राजस्थान विधान सभा
षष्ठम् सत्र
कार्य-सूची
मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2011
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी:-

1. श्री दीपचन्द कस्वां - पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा ।
2. जापान में आए भूकम्प/सुनामी के मृतक ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचना

पंचायती राज विभाग

श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.4(8)एमे/रूल्स/लीगल/पीआर/10/433 दिनांक 11.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे।

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जनलेखा समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) वर्ष 2003-04 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 8.1 से 8.2.11, 8.3.1 एवं 8.3.2 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 52वां प्रतिवेदन;
2. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 के अनुच्छेद संख्या 1.7.4, 2.6 तथा 4.3.11 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 53वां प्रतिवेदन;
3. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट पर्यावरण विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 3.3 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 54वां प्रतिवेदन;

4. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद संख्या 1.7.5, खनिज, वित्त, पर्यटन एवं यातायात विभाग वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 1.7.1 वन व राजकीय उपक्रम विभाग तथा वर्ष 2007-08 के अनुच्छेद संख्या 1.6.1 वन व राजकीय उपक्रम विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 4.4.11 खाद्य एवं खनिज विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 55वां प्रतिवेदन;
5. विनियोग लेखे वर्ष 2006-07 में बताये गये दत्तमत्त, अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेकों के मामले पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 56वां प्रतिवेदन;
6. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट जल संसाधन विभाग के अनुच्छेद संख्या 2.6, 4.1.11, 4.2.7 तथा 4.3.3 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 57वां प्रतिवेदन;
7. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-2001 के अनुच्छेद संख्या 4.1 सिंचाई विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 58वां प्रतिवेदन;
8. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 का अनुच्छेद संख्या-4.4 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 59वां प्रतिवेदन;
9. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2003-04 के अनुच्छेद संख्या 3.3 पर प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 60वां प्रतिवेदन;
10. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 3.1 आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 61वां प्रतिवेदन;
11. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2005-06 के पैरा संख्या 4.1.4, 4.2.1 वर्ष 2006-07 के पैरा संख्या 4.1.1, 4.5.6, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10, 4.5.12 एवं वर्ष 2007-08 के पैरा संख्या 4.1.2, 4.4.5, 4.4.6 व 4.4.7 उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 62वां प्रतिवेदन;
12. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट वन विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 के अनुच्छेद संख्या-3.4 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 63वां प्रतिवेदन;
13. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2006-07 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या-2.5, 3.1 तथा 4.1.2 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 64वां प्रतिवेदन;

14. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) वर्ष 2004-05 में समाविष्ट देवस्थान विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 65वां प्रतिवेदन;
 15. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) वर्ष 2005-06 में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 66वां प्रतिवेदन; एवं
 16. वर्ष 2006-07 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2010-2011 का 67वां प्रतिवेदन।
- (2) डॉ. दयाराम परमार, सभापति, प्राक्कलन समिति 'क', 2010-2011, प्राक्कलन समिति 'क', 2009-2010 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012

प्रथम अवस्था

अग्रत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 पर अग्रत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा ।

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 14 मार्च, 2011

